[भारत के राजपत्र, असाधारण की भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 6/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. (अ). - केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, विल्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:— उक्त अधिसूचना में.-

- (क) अनुसूची I -2.5% में,
 - (i) क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"76क	13	इमली गिरी का पाउडर";

(ii) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : -

"78क	1404 या	मेहंदी पेस्ट, कोन्स में";
	3305	

(iii) क्रम संख्या 103क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा. यथा: -

"103ख	2302	राइस ब्रान (तेल रहित राइस ब्रान से भिन्न)";
-------	------	---

- (iv) क्रम संख्या 165 में, कॉलम (3) में "पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं या" शब्दों को निरसित किया जाएगा:
- (v) क्रम संख्या 165 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

100.		लिक्वीफाइड प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, लिक्वीफाइड प्रोपन
	2711 13 00,	और लिक्वीफाइड ब्यूटेन और लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस,
		पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए";

(i) क्रम संख्या 198क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "पुआल, एस्पेरॉओ या अन्य संग्रथन सामग्री के निर्माण; टोकरी कार्य और खपची कार्य", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 219क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "कोर्डूरोय फैब्रिक्स, वेलवेट फैब्रिक्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 224 क में कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6309 या 6310", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या २४३ और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"243क	88 या अन्य	वैज्ञानिक और तकनीकी औजार, उपकरण, उपस्कर, सहायक
		सामग्री, कलपुर्जे, घटक, स्पेयर्स, टूल्स, मोक अप्स और
		मॉड्यूल्स, कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण
		यानों और उपग्रह तथा पेलोड्स के लिए आवश्यक हों";

(ख) अनुसूची II -6%, -

(i) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

٠,	11.5 (11.15) 11.5 (11.15)					
	"32 कक	1704	शुगर बॉयल्ड कनफेक्शनरी";			

(ii) क्रम संख्या ४६क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"46ख	2201	20 लीटर की बोतलों में भरे पेयजल";

- (iii) क्रम संख्या 56 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "28 या 38" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 57क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"57ख	2809	उर्वरक श्रेणी के फास्फोरिक एसिड";

- (v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि "29 या 3808 93" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"78क	3808	निम्नलि	खित बायो-पेस्टीसाइड्स, यथा -
		1	बेसिलस थूरिनजिनसिंस वर. इजराइलेंसिस
		2	बेसिलस थ्रीरेनजिनसिस वर. कर्स्टकी
		3	बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. गेलेरिया
		4	बेसिलस स्फेरिकस
		5	ट्राइकोडर्मा विरिडे
		6	ट्राइकोडर्मा हर्जियानम
		7	स्यूडोनाइमस फ्लूरोसेंस
		8	ब्यूवेरियाबसियाना
		9	एनपीवी ऑफ हेलिकोवर्पामिगेरा
		10	एनपीवी ऑफ स्पूडोप्टेरेलिटूरा

11	नीम आधारित कीटनाशी
12	सिम्बोपोगन

(vii) क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"80ক	3826	बायो डीजल";				

(viii) क्रम संख्या ९९क और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"99क	4418	बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी"
99ख	4419	काष्ठ के टेबलवेयर और किचनवेयर";

- (ix) क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 133 में, कॉलम (3) में "एबर्जाबेंट कॉटन वूल्स" शब्दों के पश्चात शब्द और कोष्ठक "[सिगरेट फिल्टर राड्स को छोड़कर]" को जोड़ा जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 147 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "वोवेन पाइल फैब्रिक्स और चिनाइल फैब्रिक्स, कोर्ड्राय फैब्रिक्स और वेलवेट फैब्रिक्स को छोड़कर, उन फैब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 5806 में दिए गए हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा. यथा: -

"195ख	8424	र्स्पीकलर्स; ड़ीप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटरलस; मैकेनिकल्स
		स्प्रैयर्स भी आते हैं";

(C) अनुसूची III-9% में, -

- (i) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में "वानस्पतिक उत्पादों से निष्कर्षित" शब्दों के पश्चात शब्द और कोष्ठक, "[इमली गिरी के पाउडर से भिन्न]" को जोड़ा जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 12 में, कॉलम (3) में, "ग्राउंड नट्स सीड और गजक" शब्दों की प्रविष्टि के स्थान पर "ग्राउंड नट्स सीड, गजक और शुगर ब्वायल्ड कन्फेकशनरी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 24 में, कॉलम (3) में "बिना फ्लेवर वाले पदार्थ" शब्दों के पश्चात "[20 लीटर की बोतलों में बंद पेय जल से भिन्न]" शब्दों को जोड़ा जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 39 में, कॉलम (3) में "वस्तुओं की अन्य दर सूची" शब्दों के पश्चात "फास्फोरिक एसिड की श्रेणी के उर्वरक समेत" को जोड़ा जाएगा ।
- (v) क्रम संख्या 59 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "बालों में लगाए जाने वाले उत्पाद [मेहंदी पेस्ट, कोन्स में, को छोड़कर], को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 87 में, कॉलम (3) में "और इसी प्रकार के उत्पादों" शब्दों के पश्चात शब्द अंक और कोष्ठक "[अनुसूची-11 के क्रम संख्या 78क के समक्ष उल्लिखित बायो-पेस्टीसाइडस से भिन्न]" को जोड़ा जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या ९९ और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 137च में, कॉलम (3) में "शिंगिल्स और शेक्स" शब्दों के स्थान पर "[बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी से भिन्न]" शब्दों को जोड़ा जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"163ক	56012200	सिगरेट फिल्टर राड्स";

(x) क्रम संख्या 236क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"236क	7323 9410	घमेला"
236ख	7324	सेनेटरी वेयर और उसके हिस्से, जो कि लोहा और इस्पात से बने हुए हैं";

- (xi) क्रम संख्या 325 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "यांत्रिक उपकरण (चाहे ये हस्तचालित हों या नहीं) जो कि लिक्किड या पाउडर के प्रोजेक्टिंग या डिस्प्रैसिंग या स्प्रैइंग के काम में आते हों; अग्निशामक, चाहे या चार्जड हों या नहीं; स्प्रै गन और इसी प्रकार के उपकरण; स्टीम या सेंड ब्लास्टिंग मशीनें और इसी प्रकार के जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें [स्प्रींकलर्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटलर्स भी आते हैं; मैकेनिकल स्पेयर्स; नोजल, जो कि ड्रिप सिंचाई उपकरणों में लगाए जाते हैं या नोजल जो कि स्प्रींकलर्स में लगाए जाते हैं, से भिन्न।" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"399क	8702	बसें जो कि सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग में लाई जाती हैं और
		केवल जैव ईंधन से चलती है"

(घ) अनुसूची -IV-14 %, में -

- (i) क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "मोटर वाहन जो कि चालक समेत 10 या इससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं [सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले उन बसों से भिन्न जो कि केवल जैव ईंधन से चलते हों]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा:-

"229	कोई	भी	बाजी, जुंआ या रेस क्लब में धुड़-दौड़ में जीत की संभावना के
	अध्याय		रूप में किए जाने वाले दावे"

(ड.) अनुसूची -V-1.5% में -

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " अर्द्ध मूल्यवान नग, चाहें ये तराशे गए हों या नहीं या इनकी ग्रेडिंग हुई हो या नहीं लेकिन ये पिरोए या जड़ें न गए हों; अर्द्ध मूल्यवान नग जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए [उनसे भिन्न जो कि तराशे न गए हों या साधारणतया काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दिया गया हो]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 4 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग चाहे ये तराशे गए हों या ग्रेडेड हो या नहीं लेकिन पिरोए या जड़े न गए हों "[अनग्रेडेड सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग, जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हो]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्दों ''[लाक/शेलाक की चूडियों से भिन्न]" को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर ''नकली आभूषण [लाक/शेलाक की चूडियों से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

(च) अनुसूची -VI-0.125% में, -

- (i) क्रम संख्या 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी वस्तुओं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (ii) क्रम संख्या 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अर्द्ध मूल्यवान नग, जिन पर कोई काम नहीं हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क	7103	मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न) अन ग्रेडेड मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न)"
-----	------	--

- (iv) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग जिन पर कोई काम न हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा. यथा: -

"2क	7104	सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड मूल्यवान नग

[फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट) अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि 1387 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।